



इलाहाबाद उच्च न्यायालय

रिट – ए संख्या – 976 वर्ष 2026

आर्येन्द्र शर्मा एवं 5 अन्य

.....याचिकाकर्ता

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य

.....प्रतिवादी

याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता: सिद्धार्थ खरे, वरिष्ठ अधिवक्ता

प्रतिवादी की ओर से अधिवक्ता: सी.एस.सी.

न्यायालय संख्या – 33

माननीय न्यायमूर्ति विकास बुधवार,

1. याचिकाकर्ताओं की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता श्री सिद्धार्थ खरे तथा राज्य की ओर से स्टैंडिंग काउंसिल श्री आर.एस. उमराव को सुना गया।
2. याचिकाकर्ताओं की शिकायत यह है कि वे कुल छह की संख्या में हैं, जिन्हें विभिन्न तिथियों—वर्ष 1990, 1993, 1996, 1997 एवं 1998—में मौसमी कलेक्शन अमीन के रूप में नियुक्त किया गया था। उनकी वसूली 70% से अधिक रही है तथा वरिष्ठता सूची में उनके नाम क्रमशः क्रमांक 4, 27, 9, 12, 11 एवं 7 पर अंकित हैं। याचिकाकर्ताओं के अनुसार, उन्हें कलेक्शन अमीन के रूप में समायोजन हेतु संस्तुति प्राप्त है, किन्तु आयु में छूट प्रदान करने हेतु विषय राज्य सरकार के समक्ष विचाराधीन है।
3. वर्तमान रिट याचिका में याचिकाकर्ताओं की प्रार्थना उनके नियमितीकरण/समायोजन तथा आयु में छूट के संबंध में उनके दावे पर विचार किए जाने हेतु है।
4. इसके विपरीत, स्टैंडिंग काउंसिल का कहना है कि याचिकाकर्ताओं के दावे का प्रथम दृष्टया निर्णय प्रतिवादी संख्या-1 द्वारा किया जाना अपेक्षित है।
5. बार में प्रस्तुत तर्कों पर विचार करते हुए, यह रिट याचिका इस निर्देश के साथ निस्तारित की जाती है कि याचिकाकर्ता स्वयं द्वारा सत्यापित रिट याचिका की प्रति तथा आदेश की प्रमाणित प्रति के साथ एक समग्र प्रत्यावेदन प्रतिवादी संख्या-1 के समक्ष प्रस्तुत करें। उक्त प्रत्यावेदन प्राप्त होने पर, प्रतिवादी संख्या-1 विधि के अनुसार याचिकाकर्ताओं के दावे पर विचार कर, प्रमाणित प्रति प्रस्तुत किए जाने की तिथि से तीन माह की अवधि के भीतर निर्णय करेगा।

जनवरी 28, 2026

एन.एस.राठौर

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



(न्यायमूर्ति विकास बुधवार,)

Translated version. Not for Legal Use.

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"